फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट, जिला दौसा

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम नियम 26 फार्म 111)

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामकरण बनाम सहायक कलक्टर, लालसोट** **किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण** **प्रकरण संख्याः– 24/2025**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
17/12/25	उपस्थितः– 1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री देवी सिंह चौहान 2. अप्रार्थी सं0 11 की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव जोशी **आदेश** संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, लालसोट के यहां लम्बित वाद पत्र व उनवानी रामकरण वगै0 बनाम कन्हैया वगै0 को न्यायालय सहायक कलक्टर, लालसोट से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने बावत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी ख0नं0 429/238 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा वाकै ग्राम झांपदा तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना से संबंधित वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय सहायक कलेक्टर लालसोट के यहां विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किए है कि प्रकरण में दो–चार दिन की तारीख पेशीयां दी जा रही है एवं पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में प्रकरण का निस्तारण करने में आतुर है। इस प्रकार कथन करते हुए प्रार्थीगण ने वाद पत्र उनवानी रामकरण वगै0 बनाम कन्हैया वगै0 को न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई व न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रकरण में दो–चार दिन की तारीख पेंशीयां दी जाकर पीठासीन अधिकारी प्रकरण को प्रतिवादीगण के पक्ष में निस्तारण करने पर अमादा है। अधिवक्ता प्रार्थीगण का कहना है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 10 के अनुसार ही बिना विधिक प्रक्रियां अपनाए बिना वादीगण को सुने एकतरफा में प्रकरण का निस्तारण करने का अंदेशा प्रार्थीगण को है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने सक्षम न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होने का कथन करते हुए वाद पत्र उनवानी रामकरण वगै0 बनाम कन्हैया वगै0 को न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 11 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को निराधार बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त फरमाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा सहायक कलक्टर, लालसोट से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी पर गौर फरमाया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के परिशीलन से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निराधार एवं कपोल कल्पित तथ्यों से प्रेरित तथा मात्र प्रकरण के निस्तारण में विलंब करने के उद्धेश्य से प्रस्तुत किया हुआ प्रतीत होता है। न्यायालय की राय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

अति. जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)